

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 45/2017

दायर दिनांक: 20.04.2017

## उनवान

1. मांगीलाल आयु 62 वर्ष पुत्र गेंदीलाल जाति माली निवासी भैंसड़ा तह० अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

## बनाम

1. रामप्रताप आयु 45 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब पो० मेरमातालाब तह० अटरू जिला बारां (राज०)
2. नन्दकिशोर आयु 40 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब पो० मेरमातालाब तह० अटरू जिला बारां (राज०)
3. बिरधीलाल आयु 38 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब पो० मेरमातालाब तह० अटरू जिला बारां (राज०)
4. भगवती बाई आयु 36 वर्ष पुत्री हीरालाल पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब हाल निवासी फूसरा पो० टूसरा तह० बारां जिला बारां राज०
5. कान्तीबाई आयु 34 वर्ष पुत्री हीरालाल पत्नी जगदीश जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब हाल निवासी रतनपुरा पो० रतनपुरा तह० छीपाबडौद जिला बारां राज०
6. लटूरीबाई आयु 70 वर्ष पत्नी स्व० हीरालाल जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब पो० मेरमातालाब तह० अटरू जिला बारां (राज०)
7. श्यामलाल आयु 55 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब पो० मेरमातालाब तह० अटरू जिला बारां राज०
8. लक्ष्मीनारायण आयु 50 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब पो० मेरमातालाब तह० अटरू जिला बारां राज०
9. राजस्थान सरकार जर्जे तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज०

प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53, आर०टी०एक्ट०

उपस्थिति :—

वादी:— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

## निर्णय

दिनांक 25.07.2022

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि

ग्राम भैसड़ा की खाता संख्या 230 ख0नं0 401 रकबा 0.89 है0 ख0नं0 404 रकबा 0.33 है0 कुल कित्ता 2 रकबा 1.22 है0 भूमि का निर्णय दिनांक 14.11.2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/1426 दिनांक 08.06.2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2019 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम भैसड़ा की ख0नं0 401 रकबा 0.89 है0, ख0नं0 404 रकबा 0.33 है0 कुल कित्ता 2 रकबा 1.22 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है। अतः वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. मांगीलाल पुत्र गेंदीलाल जाति माली निवासी भैसड़ा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

क्र.स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा	किस्म
1	भैसड़ा	मांगीलाल पुत्र गेंदीलाल जाति माली निवासी भैसड़ा	401 उत्तर	0.41 है0	बरानी-1

2. रामप्रताप, नन्दकिशोर, बिरधीलाल पुत्र हीरालाल, भगवतीबाई, कान्तीबाई पुत्रियां हीरालाल , लटूरीबाई पत्नी स्व0 हीरालाल हिस्सा 1/3, श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र हि0 1/3, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र हि0 1/3 जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

क्र.स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा	किस्म
2	भैसड़ा	रामप्रताप, नन्दकिशोर, बिरधीलाल पुत्र हीरालाल, भगवतीबाई, कान्तीबाई पुत्रियां हीरालाल , लटूरीबाई पत्नी स्व0 हीरालाल हिस्सा 1/3 , श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र हि0 1/3 , लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र हि0 1/3 जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब का हिस्सा	401 दक्षिण 404	0.48 है0 0.33 है0	बरानी-1 बरानी-1
			कुल कित्ता 2	0.81 है0	

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 45/2017

दायर दिनांक: 20.04.2017

उनवान

1. मांगीलाल आयु 62 वर्ष पुत्र गेंदीलाल जाति माली निवासी भैंसड़ा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. रामप्रताप आयु 45 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब पो0 मेरमातालाब तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. नन्दकिशोर आयु 40 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब पो0 मेरमातालाब तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
3. बिखीलाल आयु 38 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब पो0 मेरमातालाब तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
4. भगवती बाई आयु 36 वर्ष पुत्री हीरालाल पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब हाल निवासी फूसरा पो0 दूसरा तह0 बारां जिला बारां राज0
5. कान्तीबाई आयु 34 वर्ष पुत्री हीरालाल पत्नी जगदीश जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब हाल निवासी रतनपुरा पो0 रतनपुरा तह0 छीपाबड़ौद जिला बारां राज0
6. लटूरीबाई आयु 70 वर्ष पत्नी स्व0 हीरालाल जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब पो0 मेरमातालाब तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
7. श्यामलाल आयु 55 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब पो0 मेरमातालाब तह0 अटरू जिला बारां राज0
8. लक्ष्मीनारायण आयु 50 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब पो0 मेरमातालाब तह0 अटरू जिला बारां राज0
9. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री परोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम भैंसड़ा की ख0नं0 401 रकबा 0.89 है0, ख0नं0 404 रकबा 0.33 है0 कुल कित्ता 2 रकबा 1.22 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 के मध्य तहसीलदार अटरू द्वारा हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है। अतः वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. मांगीलाल पुत्र गेंदीलाल जाति माली निवासी भैंसड़ा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

क्र.स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा	किस्म
1	भैंसड़ा	मांगीलाल पुत्र गेंदीलाल जाति माली निवासी भैंसड़ा	401 उत्तर	0.41 है0	बरानी-1

2. रामप्रताप, नन्दकिशोर, बिस्धीलाल पुत्र हीरालाल, भगवतीबाई, कान्तीबाई पुत्रियां हीरालाल , लटूरीबाई पत्नी स्व० हीरालाल हिस्सा 1/3, श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र हि० 1/3, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र हि० 1/3 जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

क्र.स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख०नं०	रकबा	किस्म
2	भैंसडा	रामप्रताप, नन्दकिशोर, बिस्धीलाल पुत्र हीरालाल, भगवतीबाई, कान्तीबाई पुत्रियां हीरालाल , लटूरीबाई पत्नी स्व० हीरालाल हिस्सा 1/3 , श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र हि० 1/3 , लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र हि० 1/3 जाति कुम्हार निवासी मेरमातालाब का हिस्सा	401 दक्षिण 404	0.48 है० 0.33 है०	बरानी-1 बरानी-1
			कुल किता 2	0.81 है०	

तहसीलदार अट्रू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उप खण्ड अधिकारी  
अट्रू जिला बारां (राज०)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।  
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.07.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अट्रू जिला बारां (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत०
महन्ताना वकील	मुत०	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अट्रू जिला बारां (राज०)